

मु० नम्बर.....किस्म.....

उन्वान

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौल

फर्द अहकाम

दिनांक

वकूलाय उपस्थित/पीठारिण अधिकारी का कार्य के पधारे है। गतानुसार दिनांक..... के पेश हो 9/25

9/6/25 पत्रावली पेश हुई  
उपस्थित पत्रावली पेश  
वास्ते.....  
दिनांक 15-9-25 को पेश हो।

15/9/25

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाने पर श्री सायल एवं उम्मे अघिकमता उप० नहीं हुए अतः मु. नं० 96/18 उन्वान अमरसिंह बनाम शुलाब सिंह तारुमा पर बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अरम पैरवी अरम हाजिरी में खासिज किया जाता है। पत्रावली के सब गुमाद होकर मूल रावे के साथ शामिल मिसल रहे, बावत तम्मील न. से कम की जाऊ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

.....

.....